

न्यायालय तहसीलदार मकराना जिला नागौर (राज.)

अजअदालत :- तहसीलदार मकराना

बइजलास:- दिनेश कुमार शर्मा तहसीलदार मकराना

प्रकरण संख्या :- 01/2020

प्रार्थी-राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का बोरावड
बनाम

अप्रार्थीगण- गणेशराम, तिलोकराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी कालवा

अन्तर्गत धारा 91(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय:—

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है । पटवारी हल्का बोरावड द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की है, कि ग्राम बोरावड के ख. न. 56 किस्म गै0 मु0 रास्ता राजकीय भूमि में अप्रार्थीगण गणेशराम, तिलोकराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी कालवा ने 0.0816 है0 भूमि पर कांटो की बाढ लगाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । पूर्व की बेदखली की रिपोर्ट संलग्न की गई ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(2) के अधीन अप्रार्थीगण को उक्त के संबन्ध में जबाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया । अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री प्रेम प्रकाश जोशी एवं श्री अकबर अली ने वकालतनामा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया । जबाब हेतु समय चाहा गया जो न्यायहित में दिया गया । समय दिये जाने के उपरान्त भी अपने पक्ष में कोई जबाब, साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये इसलिये संबन्धित के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावे ।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अधोपन्त अध्ययन एवं मनन किया । प्रकरण में पटवारी हल्का बोरावड की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बोरावड के ख. न. 56 किस्म गै0 मु0 रास्ता राजकीय भूमि में अप्रार्थीगण गणेशराम, तिलोकराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी कालवा ने 0.0816 है0 भूमि पर कांटो की बाढ लगाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर लिया है । पटवारी हल्का की मौका/बेदखली की रिपोर्ट अनुसार न्यायालय



तहसीलदार मकराना
जिला नागौर

तहसीलदार मकराना के प्रकरण संख्या 08/2019 में पारित निर्णय अनुसार इसी वर्ष में किये अतिक्रमण को दिनांक 13.2.2020 को हटा दिया गया था जिसे दिनांक 14.2.2020 को पुनः अतिक्रमण कर लिया गया है । अप्रार्थीगण गणेशराम, तिलोकराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी कालवा ने ग्राम बोरावड के ख. न. 56 किस्म गै0 मु0 रास्ता राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण हटाने के बावजूद पुनः अतिक्रमण कर लिया है जो पश्चातवर्ती/आगामी/अनुवर्ती (subsequent) अतिक्रमण की परिभाषा में आता है। अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ राजकीय भूमि से बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई जाना व कानूनी कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का बोरावड के बयान लिये गये जो शामिल मिसल है । जिसके अनुसार अप्रार्थीगण बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 कि सपठित धाराओं के अन्तर्गत अप्रार्थीगण गणेशराम, तिलोकराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी कालवा को अतिक्रमी घोषित किया जाता है । अप्रार्थीगण पर शरहद लगान का पच्चास गुणा रूपये 18/- अक्षरे अठारह रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाकर मोकें से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये जाते है । निर्णय की पालना में भौतिक रूप से बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु पटवारी हल्का बोरावड व भूअभिलेख निरीक्षक बोरावड को एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को तहरीर जारी हो । पटवारी हल्का बोरावड के बयान मुताबिक अप्रार्थीगण पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के दोषी पाये जाते है । पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्ध होने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (2) के तहत अप्रार्थीगण गणेशराम, तिलोकराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी कालवा तहसील मकराना को तीन माह के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण का एस.एच.ओ. मकराना को फर्द गिरफ्तारी अधिपत्र जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.9.2020 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया ।




तहसीलदार मकराना
जिला नागौर